

पत्रांक सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।

दिनांक::लखनऊ::20 अगस्त, 2017

आहरण वितरण अधिकारी

फतेहपुर, सोनभद्र, वाराणसी, झांसी।

रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-9/2017/171/74-2-2017-17(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन- 06-टसर रेशम विकास की योजना हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 56.60 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 23.58 लाख एवं शासनादेश संख्या-29/2017/642/74-2-2017-17(ब)/2017 दिनांक 25.08.2017 द्वारा अवशेष सात माह हेतु रू0 33.02 लाख इस प्रकार कुल रू0 56.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 25.08.2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 33,02,000.00 (रूपये तैतीस लाख दो हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात् किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय निदेशालय द्वारा निर्धारित वार्षिक योजना में अंकित कार्यों पर यथा चाकी कीटपालन, फार्मों के कर्षण कार्य एवं नर्सरी स्थापना में ही किया जाएगा।
6. मजदूरी मद में आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित मजदूरों को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
7. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
8. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक 10.03.2018 तक) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

9. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
10. निदेशालय के पत्र संख्या-4594-सी/सेरी0/तक0/कार्य योजना/2016-17 दिनांक 22.03.2017 के द्वारा निर्गत वर्ष 2017-18 की कार्य योजना में दर्शाये गये वृक्षारोपित क्षेत्रफल के अनुसार धनराशि का आवंटन किया गया है। सभी परीक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः वृक्षारोपित क्षेत्रफल का सत्यापन करते हुए वास्तविक वृक्षारोपित क्षेत्रफल के अनुसार व्यय सुनिश्चित करें। यदि वास्तविक वृक्षारोपित क्षेत्रफल कार्य योजना में उल्लिखित क्षेत्रफल से कम होता है तो बची हुई धनराशि निदेशालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें।
11. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017-बी -1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में दिये गये शर्तों /नियमों के अनुसार किया जाए।
12. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-टसर रेशम विकास की योजना के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-42 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

28/08/17
(अनिल कुमार यादव)
निदेशक(रेशम)

पत्रांक 019 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, फतेहपुर, सोनभद्र, झांसी, वाराणसी ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कैम्प निदेशक, रेशम, मुख्यालय-लखनऊ।
6. उप निदेशक, रेशम मुख्यालय-लखनऊ।
7. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
8. वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
9. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

30/08/17
(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 019 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक: 20 अगस्त, 2017 का अनुलमक

अनुदान सं0- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -001-निर्देशन एवं प्रशासन

06-टसर रेशम विकास की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि ₹0 में)

| क्र0 | आहरण एवं विवरण सं0 अधिकारी का पदनाम | जनपद | कोषागार का नाम | 02-मजदूरी | 29-अनुक्षण | 42-अन्य व्यय | 43-सामग्री और सम्पुर्ति | योग | पूर्व में योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का योग | प्रणामी योग |
|------|--|-----------|----------------|-----------|------------|--------------|-------------------------|---------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | सहायक निदेशक (रेशम) | महोबा | झांसी | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2300 | 5300 |
| 2 | सहायक निदेशक (रेशम) | विक्रकूट | झांसी | 27000 | 1500 | 1000 | 2500 | 32000 | 23000 | 55000 |
| 3 | सहायक निदेशक (रेशम) | बांदा | झांसी | 13000 | 500 | 900 | 1500 | 15900 | 10300 | 26200 |
| 4 | सहायक निदेशक (रेशम) | झांसी | झांसी | 201000 | 8200 | 6500 | 16000 | 231700 | 165800 | 397500 |
| 5 | सहायक निदेशक (रेशम) | ललितपुर | झांसी | 61000 | 2500 | 2000 | 5000 | 70500 | 50400 | 120900 |
| | योग | | | 305000 | 12700 | 10400 | 25000 | 353100 | 251800 | 604900 |
| 6 | सहायक निदेशक (रेशम) | सोनभद्र | सोनभद्र | 1270000 | 52000 | 41000 | 103000 | 1466000 | 1047500 | 2513500 |
| 7 | सहायक निदेशक (रेशम) | फर्रुखपुर | फर्रुखपुर | 73000 | 3000 | 2400 | 6000 | 84400 | 60100 | 144500 |
| 8 | सहायक निदेशक (रेशम) | मिर्जापुर | वाराणसी | 130000 | 5300 | 4200 | 11000 | 150500 | 107100 | 257600 |
| 9 | सहायक निदेशक (रेशम) | चन्दौली | वाराणसी | 1081000 | 44000 | 35000 | 88000 | 1248000 | 891500 | 2139500 |
| | महायोग | | | 2859000 | 117000 | 93000 | 233000 | 3302000 | 2358000 | 5660000 |

तेरह अंको का कोड नम्बर

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(रूपये तैतीस लाख छपपन हजार मात्र)

(अभिषेक श्रीवास्तव)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी